

कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ।

फार्म-VIII "क"

(भवन परमिट हेतु अनुमोदन फार्म)

उपविधि संख्या-8 (4)

आवेदन संख्या-230/2025-26, दिनांक-19.6.25 के संदर्भ में श्री कान्त सिन्हा, श्री प्रकाश कुमार सिन्हा, श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, श्री प्रभाष कुमार सिन्हा, श्री विकास कुमार सिन्हा, पिता-स्व० कृष्णबल्लभ नारायण, श्री देवान्शु कुमार सिन्हा, श्री अभिषेक कुमार सिन्हा, पिता-स्व० सुधीर कुमार सिन्हा, मोहल्ला-मधुबनी अमला टोला, पूर्णिया, वार्ड नं०-02, जिला-पूर्णियाँ के लिए

(क) B+G+5 (व्यवसायिक -सह- आवासीय) भवन के निर्माण

पूर्णियाँ नगर निगम पूर्णिया/बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना विकास योजना/आयोजन प्राधिकार/आयोजना स्कीम के मौजा-मधुबनी, एम0एस0पी प्लॉट नं०-102 (क) (ख), 103, 104/252, 101/244, 105, 104, 104 (क) (ख) (च) (ग) (घ), खाता संख्या-10, 18, 19, होल्डिंग संख्या-147 गाँव पूर्णियाँ, मोहल्ला-मधुबनी अमला टोला, वार्ड नं०-02 के बावत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:-



1. प्रस्तावित भवन का उपयोग व्यवसायिक -सह- आवासीय के रूप में प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जायेगा।
3. अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 560.72 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि सहरसा पूर्णियाँ एन0एच0-107 जाने वाली सड़क (100 फीट) 30 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
5. प्रश्नगतभूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा कें आवश्यक हो।
6. सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या मानक बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधिनस्थ पूर्णियाँ नगर निगमों क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 1.5 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
7. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
8. इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
9. योजना के अनुमोदन के पश्चात भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

Patil